>

Title: Need to simplify the procedure for issuance of Kisan Credit Card to farmers particularly in Kota Parliamentary Constituency, Rajasthan.

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा में किसान क्रेडिट कार्ड को बनाने एवं उन्हें प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं परंतु उसमें नाहक देरी की जाती है जो किसानों के हित में नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार ने किसानों को वित्त एवं ऋण सुविधा दिलाने के लिए शुरू की है और इससे किसान बीज, खाद एवं कृषि से संबंधित उपकरणों को खरीदता है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अपने क्षेत्र में स्थित बैंकों से "नो डयूस सर्टिफिकेट" लेने का नियम बना रखा है। अगर उस क्षेत्र में कोई नगर निगम या नगरपालिका हो तो किसानों को सभी बैंकों से "नो डयूस सर्टिफिकेट" लेना पड़ता है। दूसरी दिक्कत यह आती है कि यह सर्टिफिकेट बैंक का मैनेजर ही जारी करता है अगर वह सीट पर नहीं है तो सर्टिफिकेट के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। जहां तक जानकारी है किसानों को जब क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है उसके लिए सिक्यूरिटी के रूप में किसी सम्पत्ति को बंधक रखा जाता है तो "नो डयूस" का औचित्य किसलिए है। इस तरह से किसानों को वित्त सुविधा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

सरकार से अनुरोध है कि किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए जो प्रावधान है उनका सरलीकरण किया जाए जिससे किसानों को क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।